रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 1969/भाद्र 12, 1891

No. 142] NEW DELHI, WEDNESDAY SEPTEMBER 3, 1969/BHADRA 12, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September 1969

No. 37/1/VIII/69/T.—The following order by the President dated the 3rd September, 1969, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

V. V. GIRI,

September 3, 1969. President."

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1969

संख्या 37/1/VIII/69/टी :—राष्ट्रपति का दिनांक 3 सितम्बर, 1969 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं एतद्द्वारा लोक-सभा का सत्रावसान करता हूं ।

3 सितम्बर, 1969 । वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति"

श्यामलाल शकधर, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969